



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्यवृत्त

आज दिनांक: 19.06.2023 को अपराह्न 12:00 बजे Research Advisory Committee की बैठक शोध विभाग, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में आहूत की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये।

- | | |
|--|--------------|
| 1. प्रो० विनीता सिंह, अधिष्ठाता शोध, समाज विज्ञान संस्थान | - सदस्य |
| 2. प्रो० सुगम आनन्द, इतिहास विभाग | - सदस्य |
| 3. प्रो० अजय तनेजा, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय | - सदस्य |
| 4. प्रो० अचला गक्खर, अधिष्ठाता होमसाइंस संकाय | - सदस्य |
| 5. प्रो० बी.पी. सिंह, उप अधिष्ठाता शोध, भौतिक विभाग | - सदस्य |
| 6. प्रो० मुहम्मद अरशद, उप अधिष्ठाता शोध, समाजशास्त्र विभाग | - सदस्य |
| 7. प्रो० विपिन कुमार, अधिष्ठाता कृषि संकाय | - सदस्य |
| 8. डा० राजीव वर्मा, उप अधिष्ठाता शोध, समाज कार्य विभाग | - सदस्य |
| 9. सहायक कुलसचिव शोध/ अधीक्षक शोध | - सदस्य सचिव |

निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लिया गया:-

बिन्दु संख्या - 01 पीएच०डी० पंजीयन आवेदन पत्र के प्रारूप का अनुमोदन किया जाना।

निर्णय संख्या - 01 पीएच०डी० पंजीयन आवेदन पत्र के प्रारूप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया

बिन्दु संख्या - 02 किसी अन्य विश्वविद्यालय से शोधार्थीयों द्वारा प्री० पीएच०डी० कोर्सवर्क पूर्ण किये जाने के उपरान्त पीएच०डी० पंजीयन हेतु आवेदन करने पर विचार किया जाना।

निर्णय संख्या - 02 उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्री० पीएच०डी० कोर्स वर्क किया गया है तो ऐसे शोधार्थीयों को उस विश्वविद्यालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ दो वर्ष के अन्दर डा० भीमराव विश्वविद्यालय आगरा में पंजीकरण कराने की अनुमति देने लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया गया।

S. Anil
19/6/23

V. K. 19/6/23
19/6/23

19/6/23

4/
19.06.23

19/6/23

19/6/23

Mud



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्वर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

- 2 -

बिन्दु संख्या - 03 जे० आर० एफ० के शोधार्थियों द्वारा शोध निर्देशक आंबेडिट होने के उपरान्त उपस्थिति प्रपत्र को, शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य/प्रभारी आवासीय संस्थान तथा सम्बद्ध महाविद्यालय के द्वारा अग्रसारित कराकर उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाना।

निर्णय संख्या - 03 ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि 27 मई से 10 जुलाई तक जे० आर० एफ० के शोधार्थियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लेकिन 11 जुलाई 2023 से शोध छात्रवृत्ति प्रपत्र के साथ बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

बिन्दु संख्या - 04 कुमारी अर्चना चौधरी के प्रत्यावेदन पर विचार करना।

निर्णय संख्या - 04 कुमारी अर्चना चौधरी सत्र 2014-15 में अपना पंजीकरण विश्वविद्यालय द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार नहीं कराया, इसलिए पंजीकरण आवेदन जमा न होने के कारण शोध उपाधि समिति में प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह प्रकरण कालातीत हो जाने के आधार पर निरस्त किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या - 05 छ: माह की प्रगति आख्या शोधार्थियों द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क लगाने के संदर्भ में।

निर्णय संख्या - 05 सत्र 2018 के शोधार्थियों की प्रगति आख्या समय अन्तर्गत एक माह के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो रूपये 500/- विलम्ब शुल्क के साथ तीन माह के अन्दर जमा की जा सकती है एवं तीन माह में जमा नहीं होती तो रूपये 1000/- विलम्ब शुल्क के साथ अगली तीन माह तक जमा करने की अनुमति सर्वसम्मति से दी जाती है।

बिन्दु संख्या - 06 कम्प्यूटर साइंस विभाग में दिनांक 10-06-2023 की बैठक में उन सेवारत शोधार्थियों जिन्होंने अपना कोर्सवर्क वर्ष 2018 में पूर्ण कर लिया परन्तु शोध निर्देशक आंबेडिट नहीं हो पाने के कारण अपना शोध कार्य प्रारम्भ नहीं कर सके के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय संख्या - 06 सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के निर्णय को पार्ट टाइम पीएचडी० लागू होने तक स्थगित किया जाता है।

बिन्दु संख्या - 07 डा० लता चन्दोला, शिक्षा संकायाध्यक्ष के प्रत्यावेदन के अनुसार शिक्षा संकाय में शोध हेतु शोध गाइड की प्रक्रिया के संदर्भ में विचार करना।

निर्णय संख्या - 07 भविष्य में नियमानुसार उक्त प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

Shweta
19/6/23
Ab

V.L.B.
19/6/23
AMU
19/6/23

19/6/23

19/6/23
19/6/23

✓

KM
19/6/23



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा


(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)


- 3 -

बिन्दु संख्या - 08 शोध छात्रा कुमारी सावित्री हिन्दी विभाग, शिक्षोहाबाद ने अपने प्रार्थना पत्र द्वारा शोध प्रबन्ध जमा करने के लिए समय विस्तार के उपरान्त भी शोध प्रबन्ध जमा नहीं कर पाने के लिए कुछ समय दिये जाने के संदर्भ में विचार करना।

निर्णय संख्या - 08 2014-15 के ऐसे शोधार्थी जो समय विस्तार के उपरान्त भी शोध प्रबन्ध नहीं जमा कर पाये, उक्त के संदर्भ में करोना के समय को देखते हुए शोधार्थियों को शोध प्रबन्ध जमा करने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय देने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।



सहायक कुलसचिव (शोध)
सदस्य सचिव


(डा० राजीव वर्मा)
उप अधिष्ठाता शोध



(प्रो० विनय कुमार)
अधिष्ठाता कृषि



(प्रो० मौ० अरशद)
उप अधिष्ठाता शोध


(प्रो० अचला गोखरा)
अधिष्ठाता होमसाइंस


(प्रो. बी.पी. सिंह)
उप अधिष्ठाता शोध


(प्रो. सुगम आनन्द)
सदस्य


(प्रो. अजय तनेजा)
अधिष्ठाता विज्ञान संकाय


(प्रो. विनीता सिंह)
अधिष्ठाता शोध